[2019] 18 S.C.R.1078

मनोहरन

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैरिएटी हॉल

पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) 2019 का Nos.446-447)

में

(2019 की आपराधिक अपील Nos.1174-1175)

नवंबर 07,2019

[आर. एफ. नरीमन, सूर्या कान्ट और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

समीक्षा-मृत्युदंड के मामलों में-प्रतिबंधात्मक सिद्धांतों का अनुप्रयोग-हत्या बलात्कार-सह-अभियुक्त (अब मृत) का उपयोग

स्कूल वैन उधार ली, एक 10 वर्षीय लड़की और उसके 7 वर्षीय भाई को उठाया जो स्कूल जाने की प्रतीक्षा कर रहा था-उसके बाद उसने अपने दोस्त (आरोपी-याचिकाकर्ता) को अपने घर से उठाया-लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसके साथ दुराचार किया गया-दोनों बच्चों को दूध में मिलाया हुआ जहर (गोबर का पाउडर) दिया गया-हालांकि, उन्होंने पदार्थ को थूक दिया और केवल एक छोटा सा हिस्सा निगल लिया-चूंकि जहर काम नहीं कर रहा था, इसलिए बच्चों को पास की नहर में फेंक दिया गया, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई-आरोपी की सजा-याचिकाकर्ता यू/एस। 302 , 376 (2) (च), (छ) और 201, आई. पी. सी. और निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा -

वर्तमान तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से दोषसिद्धि की पुष्टि की और बहुमत से मौत की सजा को बरकरार रखा-बहुमत का फैसला

सूर्यकांत, जे. (रोहिंटन एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए) द्वारा दी गई दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखना-अल्पसंख्यक निर्णय दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए संजीव खन्ना द्वारा दी गई छूट/परिवर्तन के बिना (प्राकृतिक मृत्यु तक) आजीवन कारावास की सजा देना, जे. समीक्षा याचिकाएं-आयोजितः खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी-सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और खुद के लिए) ने कहाः अभियोजन का मामला स्पष्ट सबूतों के अलावा कई सबूतों के माध्यम से स्थापित किया गया था

याचिकाकर्ता के अपराध को किसी भी अवशिष्ट संदेह से परे साबित करने वाला स्वीकारोक्ति-याचिकाकर्ता और बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा परस्पर विरोधी बयान दिए गए थे, और आरोप मुक्त करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। साक्ष्य अधिनियम का s.106 प्रदान किया गया था-इसलिए, यह "अवशिष्ट संदेह" के

सिद्धांत को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था-सिर्फ इसलिए कि अब मृत सह-आरोपी वह मास्टरमाइंड था जिसका अपराध था

1078 मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर, याचिकाकर्ता के अन्यथा बर्बर रूप से चौंकाने वाले अपराधों को कम नहीं किया जा सकता है-साथ ही, प्रयास किया गया

याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकारोक्ति वापस लेने से पता चलता है कि वह किस स्थिति में था

तथ्य-रहित-यह क्षण के उत्साह या जुनून के अपराध में नहीं था; बल्कि चतुराई से योजनाबद्ध, सावधानीपूर्वक निष्पादित किया गया था और

रोकने और रोकने के कई अवसर-याचिकाकर्ता के अपराध वे इतने गंभीर थे कि न्यायालय और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले थे और दुर्लभ से दुर्लभतम थे-समीक्षा करने का कोई आधार नहीं था।

उनकी दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखने वाले निर्णय-प्रति संजीव खन्ना, जे. ने अभिनिर्धारित कियाः सूर्यकांत, जे. द्वारा दिए गए कारण

पुनर्विचार याचिका और याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने पर पूरी तरह से सहमति है और सजा के सवाल पर, टिप्पणियों और निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए कोई अच्छा आधार और कारण नहीं हैं। अल्पमत निर्णय में-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 376 (2) (च), (छ) और 201-सीआरपीसी, 1973-एस. एस. 163 , 164 – साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss. 24 और 106।

समीक्षा-आयोजित करने का दायरा [प्रति सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए)]: समीक्षा का दायरा अपील की तुलना में अधिक सीमित है-एक पक्ष को पुनः आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

जब मामला पहले ही तय किया जा चुका हो, तब साक्ष्य का प्रभावी ढंग से पुनर्मूल्यांकन करने के लिए योग्यता के आधार पर मामला, भले ही अलग-अलग आधारों पर-समीक्षा में पूर्व निर्णय में हस्तक्षेप

अनुमति केवल अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि या महत्वपूर्ण नए साक्ष्य की खोज के आधार पर दी जाती है जिसका मामले के अंतिम परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यदि ठीक नहीं है सराहना की जाती है, प्रकट अन्याय का कारण बनती है।

पूर्ववर्ती-कई राय वाले निर्णय-असहमतिपूर्ण राय की व्याख्या-पूर्ववर्ती मूल्य-आयोजित [सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए)]: असहमति रखने वाली राय का बहुत कम पूर्ववर्ती मूल्य होता है और सर्वसम्मति से दिए गए निर्णयों या उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच संचालन में कोई अंतर नहीं होता है।

बहुमत, हालांकि अल्पसंख्यक असहमत विचारों के साथ-न्यायशास्त्र। स्वीकारोक्ति-वैधता-स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता-आयोजित [सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए)]: भारत में एक वैध स्वीकारोक्ति की आधारशिला केवल यह है कि क्या ऐसा बयान था

वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है जो यह आदेश देता है कि [2019] 18 एस. सी. आर. द्वारा स्वैच्छिकता और जबरदस्ती की कमी सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए।

पुलिस-तथ्यों पर, मजिस्ट्रेट (पीडब्लू-28) ने इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया और सकारात्मक रूप से स्वयं को पुलिस की स्वैच्छिकता से संतुष्ट किया।

याचिकाकर्ता का इकबालिया बयान-सी. आर. पी. सी., 1973-एस. 163 , 164 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एस. 24.

कन्फेशन रिट्रेक्टेड कन्फेशन-इफेक्ट ऑफ-हेल्ड [पर सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और खुद के लिए)]: : स्वीकारोक्ति वापस लेने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी

परिस्थितियों में कोई अभियुक्त स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। सजा/सजा-मृत्युदंड-याचिका कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में मृत्यु नहीं दी जानी चाहिए-आयोजित [प्रति।

सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए): परिस्थितिजन्य साक्ष्य आपराधिक कानून के आधार पर मामलों में मृत्यु न देने का कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है।

सजा/सजा-मृत्युदंड के मामले-सजा के सवाल पर मौखिक बहस का अवसर-आयोजित [प्रति सूर्य

कांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए): मृत्युदंड के मामलों में, क्योंकि सजा अपरिवर्तनीय है और जीवन का अधिकार यू/Art.21 के तहत है।

दोषी का उल्लंघन किया जाता है, सजा के सवाल पर मौखिक बहस के लिए कम से कम एक अवसर प्रदान करना आवश्यक है -

भारत, 1950-कला। 21 .

सजा/मौत की सजा के लिए आधार

कम्यूटेशन-आयोजित [प्रति सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए)]: यहां तक कि किसी भी गंभीर परिस्थिति के बिना देखा गया, केवल कम उम्र और वृद्ध माता-पिता की उपस्थिति आवागमन के लिए आधार नहीं हो सकती है-कोई भी यह विचार कर सकता है कि ऐसी कम उम्र राज्य पर निरंतर बोझ डालती है और समाज के लिए एक लंबा जोखिम प्रस्तुत करती है।

इसलिए न्यायालयों द्वारा अधिक गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 164 - कार्यवाही के दौरान वकील की अनुपस्थिति के संबंध में बचाव पक्ष की याचिका

मजिस्ट्रेट यू / s.164, दंड प्रक्रिया संहिता जिसके परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है-आयोजित [सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए)]: याचिका गलत है - s.164 सी. आर. पी. सी. स्वीकारोक्ति या बयान पर विचार नहीं करता है।

आवश्यक रूप से अधिवक्ता (ओं) की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जब ऐसा इकबालिया बयान ऑडियो के साथ दर्ज किया जाता है।

वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है।

पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने हेल्ड [प्रति सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और के लिए)

1. समीक्षा का क्षेत्रः मृत्युदंड के मामलों में भी समीक्षा का दायरा संकीर्ण है और इसके पहले के विभिन्न निर्णयों में मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा के दायरे पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंधात्मक सिद्धांतों को लागू किया गया और उनकी पुष्टि की गई।

समीक्षा का दायरा अपील की तुलना में अधिक सीमित है। किसी पक्ष को गुण-दोष के आधार पर मामले को फिर से चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है -

पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है, भले ही अलग-अलग आधारों पर। समीक्षा में पूर्ववर्ती निर्णय में हस्तक्षेप है - केवल अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि या महत्वपूर्ण नए साक्ष्य की खोज के आधार पर अनुमति दी जाती है जिसका मामले के अंतिम परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यदि अच्छी तरह से सराहना नहीं की जाती है, तो यह स्पष्ट अन्याय का कारण बन सकता है। [पारस 18,19,20] [1096-सी; 1097-ए-जी; 1098-ए-बी]

विक्रम सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2017) 8 एससीसी 518: [2017] 8 एस. सी. आर. 177; मुकेश बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2018) 8 एस. सी. सी. 149 [2018] 7 एस. सी. आर. 898; कमलेश वर्मा बनाम। मायवती (2013) 8 एस. सी. सी. 320 [2013] 11 एस. सी. आर. 25 पर भरोसा किया।
मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य (2019) 7

एससीसी 716-पुष्टि की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता और वापसी का प्रभाव

2.1 . दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163,164 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 वाली इकबालिया योजना को एक साथ पढ़ने पर

साक्ष्य अधिनियम, यह स्पष्ट है कि एक बार किए गए इकबालिया बयान को वापस लेने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, न्यायालयों ने विवेक के एक नियम को प्राथमिकता दी है जिसके तहत वापस लेने के मामले में, न्यायालय ऐसे बयान के संभावित मूल्य को कम कर देता है। इकबालिया बयान और पुष्टि करने वाले सबूत की तलाश। इसलिए, भारत में एक वैध स्वीकारोक्ति की आधारशिला केवल यह है कि क्या ऐसा बयान वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में दिया गया था जो यह अनिवार्य करता है कि पुलिस द्वारा स्वेच्छा और जबरदस्ती की कमी सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए। तत्काल मामले में, इकबालिया बयान के कालानुक्रमिक विश्लेषण से

याचिकाकर्ता का दिनांक 20.11.2010 (Ex.P.18) का बयान और साथ ही 19.11.2010 पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट (पीडब्लू-28) ने इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया और याचिकाकर्ता के स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता से सकारात्मक रूप से संतुष्ट हुए। [पारस 23,26] [1099-बी-डी]

भारत बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1971) 3 एस. सी. सी. 950 और अब्दुल रज़ाक मुरलज़ा दफादर बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 283: [1970] 1 एस. सी. आर. 551-निर्भर। शिवप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य (1995) 2 एससीसी 76: [1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 171; असम राज्य बनाम रवीन्द्र

नाथ गुहा 1982 सी. आर. आई एल. जे. 216-संदर्भित।

2.2 . वर्तमान मामले में स्वीकारोक्ति को आरोप तय करने के चरण के दौरान या इसके दौरान चुनौती नहीं दी गई थी

सैंतालीस अभियोजन पक्ष के गवाहों की जाँच, लेकिन इसके बजाय केवल आंशिक रूप से पहले गुप्त रूप से लिखे गए एक पत्र के माध्यम से विवादित

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत याचिकाकर्ता का परीक्षण। मुकदमे के अंत में इस तरह की वापसी स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि शायद रक्षा रणनीति के एक हिस्से के रूप में सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। इसलिए, 20.11.2010 की स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता या बाद में वापस लेने से अप्रभावित होने के बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा, भले ही 20.11.2010 दिनांकित स्वीकारोक्ति को 25.07.2012 दिनांकित पत्र के माध्यम से वापस लिया गया माना जाए (जैसा कि मनोहरण v के दौरान अपनाया गया था।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

धारा 313 सी. आर. पी. सी.) के तहत जांच, फिर भी मूल स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। पुष्टि करने वाले सबूतों के साथ,

इस तरह के स्वीकारोक्ति के बल पर भी दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि वापस लेने के बयान में भी, याचिकाकर्ता ने पर्याप्त स्वीकार किया है जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ मिलकर उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। दिनांकित 25.07.2012 पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता केवल कुछ चूक और कुछ इनकार के साथ अपने कबूलनामे को दोहराता है। उनके पहले के बयान पर। दिनांकित 20.11.2010 स्वीकारोक्ति के साथ वापसी की तुलना से पता चलता है कि यह केवल एक सुधार है। याचिकाकर्ता ने घटना की सभी सामान्य परिस्थितियों को स्वीकार किया है, अर्थात

आई. ई. ए. की धारा 106 के तहत याचिकाकर्ता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत किए गए उसके कबूलनामे के आधार पर निचली अदालतों या इस अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। इस स्वीकारोक्ति की पुष्टि पर्याप्त सबूतों से की गई है और यह कहना एक विस्तार नहीं होगा कि इस तरह के इकबालिया बयान से स्वतंत्र होने के बावजूद, इस अदालत ने अपराधबोध के दृढ़ निष्कर्ष पर पहुँच गए। [पैरा 28,29,31 और 32] [1102 डी-एफ; 1103-सी-डी; एफ-एच]

शंकरिया बनाम। राजस्थान राज्य (1978) 3 एस. सी. सी. 435; सुब्रमण्यम गौंडन बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 66 [1958] एस. सी. आर. 428; प्यारे लाल भार्गव बनाम। राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1094: [1963] पूरक। एससीआर

689 पर भरोसा किया।

3. साक्ष्य का स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकनः द.

यह तर्क उठाया गया कि इस न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सभी सामग्री की स्वतंत्र रूप से पुनः सराहना किए बिना अपील का फैसला किया, नहीं कर सकता

स्वीकार किया जाए। इस न्यायालय ने अभिलेख पर प्रदर्शित सभी सामग्री गवाहों और दस्तावेजों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया, जिन्हें बहस के दौरान संदर्भित किया गया था। इस तरह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच से याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का सर्वसम्मत निष्कर्ष निकलता है। [पैरा 33] [1104-ए-बी] [2019] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. कानूनी प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की याचिका

4.1 . हालाँकि यह सही है कि सात वकीलों ने याचिकाकर्ता का बचाव करने से इनकार कर दिया और बार द्वारा उनके संक्षिप्त विवरण को नहीं लेने का प्रस्ताव था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक कानूनी सहायता वकील की सेवाएं सुनिश्चित कीं, जिन्होंने मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता का बचाव कुशलता से किया। वर्तमान तथ्यों में याचिकाकर्ता को पर्याप्त या उचित कानूनी सहायता की कमी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है। नहीं।

केवल उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना की, लेकिन उसने याचिकाकर्ता की एक और जांच भी की। धारा 313, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सर्वोत्तम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अधिवक्ता के अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया। इसी तरह, अपील में, इस न्यायालय ने साक्ष्य की फिर से सराहना की और उचित कानूनी सुनिश्चित किया।

प्रतिनिधित्व। वर्तमान समीक्षा में भी, याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा एक वरिष्ठ वकील द्वारा की जाती है और पर्याप्त सावधानी के मामले के रूप में, इस न्यायालय ने एक विस्तृत विश्लेषण भी किया है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करने वाली कम कानूनी सहायता का मामला नहीं पाया गया है। [पैरा 38,39] [1105-डी, एफ-जी; 1106-ए] 4.2 . दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के दौरान वकील की अनुपस्थिति के संबंध में याचिका

किसी भी पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप, गलत धारणा बनाई जाती है। अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट को बयान की स्वैच्छिकता और सभी वैधानिक सुरक्षा उपायों से खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

जिसमें परिणाम लाना और अभियुक्त के ज्ञान में स्वीकारोक्ति करने की स्वैच्छिकता शामिल है, का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। धारा 164 सी. आर. पी. सी. नहीं है इस बात पर विचार करें कि कोई स्वीकारोक्ति या बयान अनिवार्य रूप से अधिवक्ताओं की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जब ऐसा स्वीकारोक्ति बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के साथ दर्ज किया जाता है।

मतलब। [पारस 40,41] [1106-बी-डी]

हुसैनारा खातून बनाम। बिहार राज्य (1980) 1 एससीसी 98 [1979] 3 एससीआर 532; राज्य बनाम। नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 79-संदर्भित। स्ट्रिकलैंड वी। वाशिंगटन 466 यू. एस. 668 (1984)

संदर्भित किया गया।

मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

5. गिरफ्तारी और वसूली में विसंगतियों के आरोप

सबूत

विवाद पुनः: गिरफ्तारी की तारीख न केवल वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के अपराध के निर्धारण के लिए महत्वहीन है, बल्कि

अन्यथा भी उसमें कोई सार नहीं है। बयानों के विश्लेषण से साबित होता है कि मृतक लड़की का अंडरवियर (एमओ)

1) बरामद किया गया और बिना किसी छेड़छाड़ के फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जब पीडब्लू-49 ने इसे फोरेंसिक जांच के लिए प्राप्त किया, तब भी अंडरवियर वाले पार्सल पर मुहर बरकरार थी। इसके अलावा, मृतक के पिता (पीडब्लू-1) द्वारा एमओ-1 की पहचान पर संदेह करना भी निराधार है और इसका कोई आधार नहीं है। केवल इसलिए कि पीडब्लू-1 ने घटना की तारीख को अपनी बेटी को कपड़े नहीं पहने थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी को पहचान नहीं पाएगा।

उसकी बेटी के कपड़ों का टुकड़ा। पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से पदच्युत किया है कि एम. ओ.-1 उनकी बेटी का है। [पारस 43,48 और 49] [1106-जी; 1108-जी-एच; 1109-ए-बी]

6. आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि की याचिका पीडब्लू-46 (जिन्होंने संचालन किया) की अंतिम राय पर विचार करते हुए

लड़की के शरीर पर शव परीक्षण) कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था; याचिकाकर्ता के लिंग पर चोट; अंडरवियर के बिना एक्स का शव बरामद; मारुति वैन से अंडरवियर की बरामदगी; एक्स के पिता ने अंडरवियर को पहचानना; बरामद किए गए अंडरवियर पर बाल ढूंढना और याचिकाकर्ता के साथ बालों के डीएनए का मिलान, याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के अभाव में भी, यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध। याचिकाकर्ता न्यायपूर्ण है

आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। [पैरा 55] [1110-एफ-एच]

7. पॉक्सो पर गलत निर्भरता की याचिका

यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय को यौन से बच्चों के संरक्षण में हाल के संशोधन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था

मृत्युदंड को उचित ठहराने के लिए अपराध (पॉक्सो) अधिनियम, 2012, क्योंकि नया कानून घटना की तारीख को अस्तित्व में नहीं था और इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 20 के अपमान में पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

संविधान। हालाँकि याचिका पहली नज़र में आकर्षक है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी या सजा नहीं दी गई है। इसके बजाय, केवल एक पारित संदर्भ [2019] 18 एस. सी. आर. था।

यह इंगित करने के लिए बनाया गया कि क्या वर्तमान मामला दुर्लभ से दुर्लभतम था और क्या यह समाज की अंतरात्मा को झकझोर देगा। [पारस

56 , 57] [1111 - ए-सी]

मच्ची सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1983 एस. सी 957:

[1983] 3 एस. सी. आर. 413; सुथेनरराजा बनाम। राज्य, (1999) 9 एससीसी

323 : [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 540; रविशंकर बनाम राज्य मध्य प्रदेश 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1290

-

8. सजा सुनाना

8.1 . यह तर्क कि मृत्यु को सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए

एकल असहमति का मामला, बहुमत की राय के बावजूद, इस न्यायालय के एक से अधिक निर्णयों को देखते हुए असमर्थित है। असहमत राय का बहुत कम पूर्ववर्ती मूल्य होता है और वहाँ है

सर्वसम्मति से दिए गए निर्णयों या बहुमत द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच संचालन में कोई अंतर नहीं है, भले ही अल्पसंख्यक असहमत विचारों के साथ। फिर भी, इस न्यायालय ने बढ़ती परिस्थितियों के खिलाफ कम करने वाली परिस्थितियों का फिर से दौरा किया है, साथ ही अपील के दौरान इस न्यायालय द्वारा नियुक्त और जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का आचरण केवल संतोषजनक है और उसने सुधार के कोई संकेत दिखाने के लिए कोई अध्ययन या कुछ और नहीं किया है। अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित हो गया है

प्रदान किया गया। इसलिए, यह "अवशिष्ट संदेह" के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। तदनुसार, यह तर्क भी कि वर्तमान मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से युक्त मानते हुए मृत्यु की सजा नहीं दी जानी चाहिए, निराधार है। के आधार पर मामलों में मृत्यु न देने का कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकास और अनुभवी अपराधियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना के कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य। [पारस 59-62] [1112-C; 1113-A-F]

देवेंद्र पाल सिंह बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2003) 2

एस. सी. सी. 501 [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 332; कृष्ण मोची मनोहरन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

वी. बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81: [2002] 3 एससीआर 1 -

पर भरोसा किया।

8.2 . इसके अलावा, समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है

अभियुक्त को एक असहाय, अनपढ़ युवा वयस्क के रूप में चित्रित करना जो अपनी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है। ऐसा होने की जगह, घटनाओं के संस्करण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के पास अपना बचाव करने और मजिस्ट्रेट को संबोधित एक विस्तृत रूप से लिखे गए ग्यारह पृष्ठ के पत्र के माध्यम से अपने कबूलनामे को वापस लेने का प्रयास करने के लिए दिमाग की उपस्थिति थी और उसे पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। [पैरा 63] [1113-जी] 8.3 . पीछे हटना बेहद देर से किया गया था और केवल खुद को बचाने के लिए एक बचाव था। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य ने साबित किया है कि बलात्कार

मृत लड़की पर किया गया था। इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त को लड़की के साथ बलात्कार करने से रोका और मुकदमे के अंत में यह एक विलंबित झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए, उत्सर्जक भागों को बाहर रखा जाना चाहिए। [पैरा 64] [1114-ए-बी]

8.4 . यहाँ तक कि किसी भी उकसावे के बिना देखा गया

परिस्थितियाँ, केवल कम उम्र और वृद्ध माता-पिता की उपस्थिति

परिवर्त्तन के लिए आधार नहीं हो सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि इस तरह की कम उम्र राज्य पर निरंतर बोझ डालती है और समाज के लिए एक लंबा जोखिम प्रस्तुत करती है, इसलिए अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है

न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप। इसी तरह, सिर्फ इसलिए कि अब मृत सह-अभियुक्त मास्टरमाइंड था जिसका अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर था, कोई भी याचिकाकर्ता के अन्यथा बर्बर रूप से चौंकाने वाले अपराधों को कम नहीं कर सकता है। वर्तमान अपराध केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि कई घंटों की श्रृंखला में कई अपराध शामिल थे। [पैरा 65] [1114-सी-डी]

8.5 . भले ही स्वीकारोक्ति से जुड़े मामले कुछ नरमी और करुणा के योग्य हों, हालाँकि, जैसा कि पहले बहुमत की राय में उल्लेख किया गया था, बयान को वापस लेने का प्रयास दर्शाता है कि याचिकाकर्ता वास्तव में कैसे अक्षम था। इतनी देर से।

पीछे हटने से आगे यह डर पैदा होता है कि कोई पछतावा या

याचिकाकर्ता द्वारा अब दिखाया जा रहा पश्चाताप अस्थायी हो सकता है और वह अपने पुराने तरीकों को फिर से अपना सकता है। इस तरह के पीछे हटने के पीछे अंतर्निहित कारणों के बावजूद, चाहे वह डर [2019] 18 एस. सी. आर. हो।

मृत्यु या यह महसूस करना कि उसे अपने पहले के कबूलनामे का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन पुनरावृत्ति की संभावना केवल रही है

और कोई भी अब प्रारंभिक स्वीकारोक्ति को नहीं देख सकता है एक निर्वात। [पैरा 66] [1114-ई-एफ]

8.6 . बल्कि, वर्तमान मामला अनिवार्य रूप से एक ऐसा मामला है जिसमें दो अभियुक्तों ने दो निर्दोष लोगों को बंदी बनाने के लिए सामाजिक विश्वास का दुरुपयोग किया

स्कूल जाने वाले बच्चे, जिनमें से एक का बेरहमी से बलात्कार और यौन शोषण किया गया था, और फिर जहर दिया गया और अंत में, उन्हें नहर में फेंक कर डूबा दिया। यह पल भर की उत्तेजना या जुनून का अपराध नहीं था; बल्कि चतुराई से योजना बनाई गई थी,

सावधानीपूर्वक निष्पादित और रोकने और रोकने के कई अवसरों के साथ। याचिकाकर्ता का वर्तमान अपराध (अपराध) इतना गंभीर है कि इस न्यायालय और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम होगा। दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है। [पारस 67,68] [1114-जी-एच; 1115-ए-बी]

निशी कांत झा बनाम। बिहार राज्य (1969) 1 एससीसी 347:

[1969] 1 एससीआर 1033-पर निर्भर।

पकड़नाः (पर संजीव खन्ना, जे.)

सूर्यकांत, जे. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 272,376 (2) (एफ) और (जी) और 201 के तहत याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने में दिए गए कारण पूरी तरह से सहमत और सहमत हैं। के सवाल पर

अल्पमत निर्णय में टिप्पणियों और निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए कोई अच्छा आधार और कारण नहीं देखे जाते हैं। [पैरा 1]

[1115 - सी, डी]

मामला कानून संदर्भ

[सूर्यकांत के निर्णय में, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए)]

(2019) 7 एस. सी. सी. 716

पुष्टि की

पै

रा 1

[2014] 11 एससीआर 1009

पीछा किया।

पै

रा 17

[2017] 8 एससीआर 177

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[2018] 7 एससीआर 898

उस पर भरोसा करें

पैरा 19 पुलिस निरीक्षक, विविधता

10

ए. टी. आई. एन., कोयंबटूर

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

ए.

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

उस पर भरोसा करें

पैरा 26

बी.

पैरा 26

संदर्भित किया गया है उस पर भरोसा करें

पैरा 27

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

सी.

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

पैरा 57

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

डी.

उस पर भरोसा करें

पैरा 59

उस पर भरोसा करें

पैरा 59

उस पर भरोसा करें

पैरा 64

सी न्यायनिर्णयः याचिका की समीक्षा करें

ई.

आपराधिक अपील सं। 1174-1175 में से

द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2019 अल अपील सं। 1174-1175 2019 से।

श्रीमती रेवती राघवन, एस. मुथु

एफ.

सोबिन अख्तर, अमर्त्य कांजीलाल, कार्तिक

ए, सुश्री शुभांगनी जैन, अधिवक्ता। के लिए

मेहा अग्रवाल, अधिवक्ता। के लिए

जी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय और आदेश उनके द्वारा दिया/पारित किया गया था।

सूर्या कान्ट, जे।

1. ये पुनर्विचार याचिकाएं मनोहरन बनाम में पारित दिनांकित 01.08.2019 निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य 1,

जिसमें इन तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त मनोहरन की दोषसिद्धि की पुष्टि की थी और बहुमत से उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मौत की सजा को बरकरार रखा था।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

' दस साल की लड़की 'एक्स' और उसका 7 साल का भाई 'वाई' कोयंबटूर के एक निजी स्कूल में क्रमशः पांचवीं और दूसरी कक्षा में नामांकित थे।

उसे सूचित किया कि एक्स और वाई दोनों पहले ही घर छोड़ चुके थे। चूंकि बच्चों के पिता (पीडब्लू-5) पहले से ही कोयंबटूर वापस जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बच्चों की देखभाल करने और वैन चालक के साथ समन्वय करने का काम सौंपा। संगीता ने कार्तिकेयन को बताया कि बच्चे पहले ही घर छोड़ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों विजय कुमार (पीडब्लू-1) और संजय (पीडब्लू-6) के साथ बच्चों की तलाश शुरू कर दी। 3. बच्चों की दादी कमला बाई (पीडब्लू-9) लगभग 8 बजे एक जैन मंदिर गई थीं: 00 ए. एम. सुबह में। 10 बजे घर लौटने पर 30 सुबह और संगीता को घबराए हुए देखकर, कमला बाई ने उसे सूचित किया कि बच्चों को एक पूर्व वैन चालक द्वारा उठाया गया था और यह अनुमान लगाया गया था कि बच्चे स्कूल में होंगे। विजय कुमार (पीडब्लू-1) तब स्कूल गए और पाया कि बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक उग्र लेकिन व्यर्थ खोज के बाद, पीडब्लू-1 ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई (उदा. पी1) वासुकी (पुलिस उप-निरीक्षक, पीडब्लू-42) के साथ

1 (2019) 7 एससीसी 716।

मनोहरन बनाम. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे.]

भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत सुबह लगभग 11 बजे।

4. इसके बाद जांच अधिकारी (आई. ओ., पी. डब्ल्यू.-47) ने जांच अपने हाथ में ली और सूचना देने वाले (पी. डब्ल्यू.-1) के बयान दर्ज किए।

स्कूल के प्राचार्य-एंथनी राज (पीडब्लू-10), साथ ही दादी (पीडब्लू-9) और बच्चों के अभी-अभी लौटे पिता (पीडब्लू-5)। लापता बच्चों का पहला निशान शाम 6 बजे प्राप्त हुआ जब एंथनी राज (पीडब्लू) 10) आई. ओ. (पीडब्लू-47) को सूचित किया कि एक चिन्नासामी (पीडब्लू-22) ने यह सूचित करने के लिए फोन किया था कि एक्स के नाम वाले पहचान पत्र वाले दो स्कूल बैग

और वाई को तैरते हुए पाया गया और बाद में परम्बिकुलम अक्षियार परियोजना ("पी. ए. पी".) नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस के पास दूसरा सुराग आया

कार्तिकेयन (पीडब्लू-2) को अपने पूर्व कर्मचारी-अनबू @गांधीराज (पीडब्लू-7) का फोन आया, जिसने बताया कि एक मोहनकृष्णन ने उस सुबह उनसे एक मारुति ओम्नी वैन उधार ली थी। इससे कार्तिकेयन को संदेह हुआ क्योंकि मोहनकृष्णन उनके पूर्व कर्मचारी थे, जिनकी सेवाओं को यह पता चलने के बाद समाप्त कर दिया गया था कि वह उन माता-पिता से पैसे उधार ले रहे थे जिनके बच्चों को बचाया जा रहा था।

पीडब्लू-2 की एजेंसी द्वारा स्कूल ले जाया गया। आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-47) ने तदनुसार अनबू (पी. डब्ल्यू.-7) और कार्तिकेयन (पी. डब्ल्यू.-2) दोनों को सलाह दी कि जब भी मोहनकृष्णन ओम्नी वैन वापस करने के लिए आएं तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। में।

लगभग 9: 45 प्रधानमंत्री, अनबू ने पुलिस को सतर्क किया कि मोहनकृष्णन वैन वापस करने आए थे और उन्होंने अपने दोस्त मनोहरन के साथ दो लापता बच्चों के अपहरण, बलात्कार और हत्या को भी स्वीकार किया था। अनबू द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहनकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी उपस्थिति में एक इकबालिया बयान दर्ज किया गया। अनबू (पीडब्लू-7) और एक संतोष कुमार (गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई)। मारुति ओम्नी वैन के साथ-साथ एक नोकिया सेलफोन और मोहनकृष्णन का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। परिणामस्वरूप आई. ओ. ने एक रिपोर्ट भेजी (उदा. पी-30) आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत आरोप में परिवर्तन के लिए

आई. पी. सी. की धारा 201 के साथ पठित धारा 364 (ए), 376,302 जो मजिस्ट्रेट को 11 बजे प्राप्त हुईः 45 पीएम।

5. जब्त की गई वैन पर लार और पीले रंग के कुछ धब्बे देखने के बाद, आई. ओ. ने सरवनन की फोरेंसिक सहायता मांगी।

(पीडब्लू-43), तमिलनाडु फोरेंसिक की मोबाइल इकाई के उप निदेशक विज्ञान विभाग। सर्वानन (पीडब्लू-43), अनबू (पीडब्लू 7) और एक संतोष कुमार (बिना जांच के) की उपस्थिति में वैन पूरी तरह से सुरक्षित थी।

तलाशी ली गई जिसमें बालों के तारों के साथ एक महिला का अंडरवियर बरामद किया गया जिस पर "एस. बी. टी. किड्सवियर 75 सी. एम". लिखा था।

43) आगे रासायनिक जांच के लिए एक सूती फाहे के साथ वैन के बाएँ दरवाजे पर सुपारी की लार के दाग, साथ ही सीट और फ्लोर्मेट पर पाए गए सूखे पीले रंग के दाग, और मोहनकृष्णन (मजार एक्स) द्वारा पहने गए कपड़े (अर्थात् पैंट, आधी शर्ट और अंडरवियर) एकत्र किए गए। पी-5 और पी-6)। मोहनकृष्णन बाद में एक पुलिस दल को उस स्थान पर ले गए जहाँ उन्होंने एक्स के साथ बलात्कार करने का दावा किया था और साथ ही दीपालपट्टी, जहाँ से बच्चों को कथित तौर पर बहते पानी में धकेल दिया गया था।

6. लड़की का शव अगली सुबह 9 बजे पल्लडम तालुक के पास ग्रामीणों को पी. ए. पी. नहर में मिला। 30 एएम, और लड़के का बाद में नहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर शव बरामद किया गया।

दीपालपट्टी। डॉ. जयसिंह (पीडब्लू-46) द्वारा कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसमें एक्स के शरीर पर निम्नलिखित चोटें दर्ज की गईं:

" शव को पहली बार अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा 02.15 बजे 30.10.10 पर देखा गया था। उसकी हालत तब चारों ओर मौजूद कठोर मृत्यु थी।

शरीर को। पोस्टमॉर्टम 02.15 बजे 30.10.10 पर शुरू हुआ।

10 वर्ष की आयु की महिला का मध्यम रूप से पोषित शरीर। अँगुली और पैर के नाखून नीले रंग के होते हैं। शरीर नीले रंग की "टी" शर्ट और सफेद रंग के स्टिकर पहने हुए है जिसका नाम "सुगुना रिप्स" है। बाईं ओर, सफेद
रेखा क्रम के साथ काले रंग का ट्रैक सूट, सफेद रंग के मोजे और सफेद रंग के जूते और गुलाब रंग के शिम्मी। नाक और मुँह दोनों पर सफेद रंग के झागदार स्राव पाए जाते हैं। हथेलियों और तलवों दोनों पर पानी का रिसाव देखा गया।

7. शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटें दर्ज की गईं:

" 1. लाइनर ऊर्ध्वाधर खरोंच अलग-अलग आकार में संख्या में 4 को चिह्नित करता है

पार्श्व पक्ष दाहिने कोहनी के जोड़ पर नोट किया गया।

2. अनुप्रस्थ खरोंच घर्षण 3 अलग-अलग आकार में संख्या में बाएं ऊपरी अग्र-भुजा के पार्श्व पहलू पर नोट किया गया है।

3. बाईं ओर के निचले हिस्से पर संख्या में 3 खरोंच का निशान अंकित किया गया है।

हाथ।

4. संदूषण 2x1 से. मी. x 0.5 गहराई पश्च भाग में दर्ज की गई है।

योनि की चार पट्टियाँ और पार्श्व दीवार। हाइमन अक्षत है।

5. गुदा की जाँच करने परः - गुदा 3 मापने के लिए विशाल पाया गया सेंटीमीटर व्यास और म्यूकोसल टियर 1x 0.5 सेंटीमीटर x म्यूकोसल डीप मनोहरन वी।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे।]

श्लेष्मा के स्तर पर गुदा के बाएँ पार्श्व पहलू पर नोट किया गया

त्वचीय जंक्शन।

वक्ष और पेट के विच्छेदन परः गर्भाशय के निचले छोर के पूर्ववर्ती पहलू पर 4 x 2 सेमी संदूषण पाया गया।

8. इसी तरह, वाई के पोस्टमॉर्टम परीक्षण में, निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटों को नोट किया गया थाः

" 1. बाईं ओर के बीच में नीले रंग का संदूषण 3 x 2 सेमी नोट किया गया

गर्दन, मध्य रेखा के लिए 3 सेमी छोड़ दिया गया। 2. दाहिने के बाहरी पहलू पर नीले रंग का संदूषण 3 x 2 सेमी नोट किया गया

अग्र-भुजा।

3. दाहिने तरफ तीसरे इंटरकोस्टल पर नीले रंग का संदूषण दर्ज किया गया

स्पेस।

4. खोपड़ी, खोपड़ी और ड्यूरा के विच्छेदन परः उप स्केलपेल संदूषण 20 x 10 सेमी द्वि-अग्रवर्ती क्षेत्र और द्वि-अग्रवर्ती क्षेत्र पर नोट किया गया

पार्श्विक क्षेत्र। सब ड्यूरल और सब अराक्नोइड का प्रसार करें

दोनों मस्तिष्क गोलार्द्धों में रक्तस्राव देखा गया।

5. गर्दन के रक्तहीन विच्छेदन परः गर्दन के बीच में बाईं ओर 4 x 3 से. मी. चोट लगी हुई है। हयॉइड हड्डी अक्षुण्ण पाई गई। "

9. वर्तमान समीक्षा-याचिकाकर्ता, मनोहरन (इसके बाद "याचिकाकर्ता"), जिसे मोहनकृष्णन के साथ अपराध को अंजाम देने के लिए कहा गया था, को सुबह 7 बजे 31.10.2010 पर गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि पूर्व में दर्ज है। डी-4। मनोहरन ने पुलिस को एक खुलासा बयान दिया (एक्स। पी 21) जिसके आधार पर आईओ (पीडब्लू-47) ने अपने घर से वाई का लंच बॉक्स बरामद किया। इसके अलावा, उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

10. के अनुरोध पर एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई थी

आई. ओ. कमला बाई (पीडब्लू-9) ने मोहनकृष्णन की पहचान उस वैन के चालक के रूप में की जिसमें बच्चों का अपहरण किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता और मोहनकृष्णन दोनों की चिकित्सकीय जांच की गई।

04.11.2010 जिससे उनके रक्त और लार के नमूने डीएनए विश्लेषण के लिए तमिलनाडु फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए। एक शक्ति

याचिकाकर्ता का परीक्षण डॉ. जे. आर. सिंह (पीडब्लू-46) द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी चिकित्सा रिपोर्ट (एक्स. पी-56) ने उन्हें शक्तिशाली पाया और आगे उनके निजी अंगों के आसपास चोट के संकेत देखे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. भारतीय संविधान की धारा 27 के तहत वसूली की कार्यवाही के दौरान

12. स्पष्ट रूप से, अभियोजन पक्ष की घटनाओं का संस्करण यह है कि मोहनकृष्णन ने एक उधार ली गई स्कूल वैन का उपयोग करते हुए दो बच्चों (एक्स और वाई) को उठाया जो लगभग 7 बजे स्कूल जाने की प्रतीक्षा कर रहे थेः 50 ए. एम. उन्होंने आगे अपने दोस्त मनोहरन को 9 बजे उनके घर से उठाया। 30 सुबह और बाद में, वे बच्चों को एक दूरदराज के स्थान पर ले गए जहाँ बाद में बालिका के साथ बलात्कार और यौन शोषण किया गया। इसके बाद, मनोहरन और मोहनकृष्णन ने गोबर का चूर्ण (एक जहरीला पदार्थ) खरीदा जिसे दूध में मिलाया गया और फिर बच्चों को उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए दिया गया। हालांकि, दोनों बच्चों ने पदार्थ को थूक दिया और केवल एक छोटे से हिस्से को निगल लिया। चूंकि जहर देने से काम नहीं चला, इसलिए मोहनकृष्णन और याचिकाकर्ता ने दोनों बच्चों को पास की नहर के अशांत पानी में फेंक दिया, जिससे वे डूब गए।

केस का इतिहास

13. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने उन उन चालीस गवाहों से पूछताछ की, जिनमें अपहरण, दूध और गोबर की खरीद और विभिन्न स्थानों पर बच्चों को आरोपी व्यक्तियों की हिरासत में देखने वाले व्यक्ति शामिल थे। इसके अलावा, विभिन्न चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो डूबने और बलात्कार को साबित करते हैं।

साथ ही याचिकाकर्ता के शरीर पर चोटें। याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए इकबालिया बयान के उपयोग के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा एक 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' का निर्माण किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अंततः याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 364-ए, 376,302 आर/डब्ल्यू 34 और 201 के तहत दोषी ठहराया। धारा 376 के तहत, याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और

15. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसके तहत इस अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और इसकी पुष्टि की। बहुमत द्वारा मृत्युदंड, यह देखते हुए कि मामला एनोहारन v श्रेणी में आता है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे।]ई 'दुर्लभतम' मामले। वकीलों के बयानों पर सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की बहुमत की राय पढ़ी गई

कमियाँः

" इन परिस्थितियों में, हमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत

और उच्च न्यायालय ने सही ढंग से लागू और संतुलित किया है कम करने वाली परिस्थितियों के साथ परिस्थितियों को बढ़ाना

पता लगाएँ कि किया गया अपराध निर्मम था और इसमें शामिल थे

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और दो बच्चों की हत्या सबसे जघन्य फैशन संभव है। याचिकाकर्ता द्वारा कोई पछतावा नहीं दिखाया गया है और अपराध की प्रकृति को देखते हुए

उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 84 में कहा गया है कि

इस बात की संभावना नहीं है कि याचिकाकर्ता, यदि मुक्त कर दिया जाता है, तो सक्षम नहीं होगा

एक बार फिर इस तरह का अपराध करना। तथ्य यह है कि

याचिकाकर्ता ने एक इकबालिया बयान दिया, इस मामले के तथ्यों पर, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने इस तरह के जघन्य अपराध के लिए पछतावा दिखाया। वह इस इकबालिया बयान पर कायम नहीं रहे।

बयान, लेकिन गलत तरीके से केवल उन हिस्सों को वापस ले लिया

बयान जिसमें उसे दोनों युवक के बलात्कार के लिए आरोपित किया गया था

लड़की और उसकी और उसके छोटे भाई दोनों की हत्या।

नतीजतन, हम मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और खारिज करते हैं

अपील "।

16. न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी अल्पमत राय में भी संबंधित गंभीर अपराधों के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा की मात्रा पर असहमति जताई।

एनजी इस प्रकार हैः

" इसलिए, मैं अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और (जी) और 201 और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और (जी) और 201 के तहत दी गई सजा को बरकरार रखूंगा और बनाए रखूंगा। इस हद तक अपील खारिज कर दी जाती है। नज़र में उपरोक्त चर्चा और उग्रता को संतुलित करने पर

और परिस्थितियों को कम करते हुए, मेरी राय में, वर्तमान मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामले की श्रेणी में नहीं आता है, यानी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह.

मामलों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जहाँ अपीलार्थी को आजीवन कारावास अर्थात तब तक की सजा भुगतने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब तक

उसकी प्राकृतिक मृत्यु, बिना किसी छूट/परिवर्तन के

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433। इस हद तक मैं अनुमति दूंगा

अपील।

"[2019] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. याचिकाकर्ता ने तब उक्त निर्णय और दिनांकित 01.08.2019 के आदेश की समीक्षा के लिए वर्तमान याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई की गई

मोहम्मद में विकसित मापदंडों का पालन करते हुए खुले न्यायालय में काफी लंबाई। आरिफ @अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2, जिसमें इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड के मामलों में,

चूँकि सजा अपरिवर्तनीय है और दोषी के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जाता है, इसलिए सजा के प्रश्न पर मौखिक बहस के लिए कम से कम एक अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

समीक्षा का दायरा

18. शुरुआत में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि विक्रम सिंह में मौत की सजा के मामलों में भी समीक्षा का दायरा कम कर दिया गया है

वी. पंजाब राज्य 3, उस समीक्षा को निर्धारित करना केवल निर्णय या आदेश के सामने स्पष्ट त्रुटि पर ही हो सकता है। समीक्षा के चरण में केवल परिवर्तन या आधारों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार के दायरे, दायरे और मापदंडों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। आम तौर पर

आपराधिक कार्यवाही में, समीक्षा आवेदनों पर रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार के अलावा विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उपयुक्त मामले में

प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन द्वारा एक आवेदक को उन आधारों पर अपील पर पुनः बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर आपराधिक अपील की सुनवाई के समय आग्रह किया गया था। भले ही आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो कि अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी करेगा जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो गई हो। रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए जिससे आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए न्याय की विफलता हो। एक भौतिक त्रुटि होनी चाहिए

में परिणामों के साथ रिकॉर्ड के चेहरे पर प्रकट न्याय की विफलता "।

2 (2014) 9 एससीसी 737। 3 3 (2017) 8 एससीसी 518।

मनोहरन बनाम. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे.]

19. उपरोक्त उद्धृत निर्णय को मुकेश बनाम में दोहराया गया था। (एन. सी. टी. दिल्ली) * राज्य जहाँ भी इसी तरह के प्रतिबंधात्मक सिद्धांतों को लागू किया गया था और मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा के दायरे पर विचार करते हुए फिर से पुष्टि की गई थी। रिलायंस को कमलेश वर्मा बनाम में उक्ति पर रखा गया था। मायावती ने यह निर्धारित करते हुए कि न्यायालयों को केवल एक अलग संभावित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की संपूर्णता की पुनः सराहना करने से बचना चाहिए, इसके अलावा उन उदाहरणों की एक अटूट सूची का चित्रण करना चाहिए जहां समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगी। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 20.2 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

(i) पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है।

निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलना।

((ii) अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ।

((ग) पुनरीक्षण कार्यवाहियों की तुलना मूल कार्यवाहियों से नहीं की जा सकती।

मामले की सुनवाई।

(iv) समीक्षा तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि आदेश के सामने प्रकट होने वाली भौतिक त्रुटि, इसकी मजबूती को कम नहीं करती है।

या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है।

(v) समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल इसके लिए निहित है।

पेटेंट त्रुटि।

(vi) इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना नहीं हो सकती है।

समीक्षा के लिए एक आधार बनें।

(vii) अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

एक त्रुटि हो जिसे खोजना और खोजना होगा।

(viii) अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है

पुनरीक्षण याचिका में अग्रिम किया जाए।

(ix) समीक्षा तब कायम नहीं रखी जा सकती जब मुख्य मामले पर बहस करते समय मांगी गई उसी राहत को नकार दिया गया हो।

20. इसलिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समीक्षा का दायरा अपील की तुलना में अधिक सीमित है। किसी पार्टी को अनुमति नहीं दी जा सकती है साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए गुण-दोष के आधार पर मामले को फिर से शुरू करें।

4 (2018) 8 एससीसी 149।

$ 5 (2013) 8 एससीसी 320।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब मामला पहले ही तय किया जा चुका हो, भले ही अलग-अलग आधारों पर हो। पुनरीक्षण में आरोपित पूर्व निर्णय में हस्तक्षेप की अनुमति केवल अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि या महत्वपूर्ण नए साक्ष्य की खोज के आधार पर दी जाती है जिसका मामले के अंतिम परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यदि अच्छी तरह से सराहना नहीं की जाती है, तो यह स्पष्ट अन्याय का कारण बन सकता है।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सिद्धार्थ लूथरा ने मामले के गुण-दोष और प्रक्रिया दोनों पर बहुआयामी हमले के माध्यम से हमारे फैसले को एक चतुराई से चुनौती दी है। उन्होंने दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए बलपूर्वक आग्रह किया और वैकल्पिक रूप से, मौत की सजा को कम करने का अनुरोध किया।

सम्मेलन की स्वैच्छिकता और वापसी का प्रभाव

22. याचिकाकर्ता के लिए दलीलें चुनौती के साथ शुरू हुईं

अभियुक्त के इकबालिया बयान पर इस न्यायालय द्वारा निर्भरता। श्री लूथरा ने दृढ़ता से तर्क दिया कि एक इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए सुरक्षा उपायों का सख्त अनुपालन जैसा कि अनिवार्य है धारा 164 अनिवार्य है, जैसा कि शिवप्पा बनाम में निर्धारित किया गया है। कर्नाटक राज्य "। उन्होंने 20.11.2010 पर मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इकबालिया बयान की स्वीकार्यता पर इस आधार पर कड़ी आपत्ति जताई कि

(क) स्वीकारोक्ति जबरदस्ती और अनैच्छिक थी, और पहले के लिए धारा 163, दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 24, आई. ई. ए. के उल्लंघन में, याचिकाकर्ता को हिरासत में रहते हुए पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से हमला किया गया था, जैसा कि प्रश्न 8 के उत्तर से पता चलता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के दौरान

19.11.2010 . दूसरा, सह-अभियुक्त मोहनकृष्णन की हिरासत में हत्या के कारण याचिकाकर्ता गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव में था; और तीसरा,

आई. ओ. (पीडब्लू-47) ने एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता जब न्यायिक सेवा में था तब स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति देने के लिए तैयार था। और पुलिस हिरासत में नहीं।

(ख) मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा क्योंकि उसने सूचित नहीं किया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाएगा

इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग।

6 (1995) 2 एस. सी. सी. 76 मनोहरन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे.]

23. इकबालिया बयान को गैर-स्वैच्छिक और संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करने और याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के लिए इसकी निर्भरता के रूप में दावा करने के जोरदार प्रयास के आलोक में, यह संक्षेप में देखा जा सकता है कि इस न्यायालय के निर्णयों के एक समूह में निहित धारा 163,164 सी. आर. पी. सी. और धारा 24 आई. ई. ए. वाली इकबालिया योजना के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी

एक बार दिए गए स्वीकारोक्ति बयान को वापस लेने के लिए, न्यायालयों ने विवेक के एक नियम को प्राथमिकता दी है जिसके तहत वापस लेने के मामले में, न्यायालय ऐसे स्वीकारोक्ति बयानों के संभावित मूल्य को कम कर देता है और पुष्टि करने वाले साक्ष्य की मांग करता है।

24. इसलिए, भारत में एक वैध स्वीकारोक्ति की आधारशिला केवल यह है कि क्या ऐसा बयान वैधानिक अनुपालन में दिया गया था।

ऐसे प्रावधान जो अनिवार्य करते हैं कि पुलिस द्वारा स्वेच्छा और जबरदस्ती की कमी सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए। यह इस न्यायालय द्वारा भारत बनाम में नोट किया गया है। यू. पी. 7 की स्थितिः

" 7. स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है यदि अदालत संतुष्ट हो कि वे स्वैच्छिक हैं और वे सच हैं। स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कोई धमकी, प्रलोभन या वादा था और इसकी सच्चाई को पूरे अभियोजन मामले के संदर्भ में आंका जाता है। स्वीकारोक्ति को सिद्ध तथ्यों में फिट होना चाहिए और उनके विपरीत नहीं होना चाहिए। जब स्वीकारोक्ति का स्वैच्छिक चरित्र और इसकी सच्चाई

यह स्वीकार किया कि इस पर भरोसा करना सुरक्षित है। वास्तव में एक स्वीकारोक्ति, यदि यह स्वैच्छिक और सच है और किसी प्रलोभन या धमकी या वादे के तहत नहीं किया गया है, तो निर्माता के खिलाफ सबूत का सबसे पेटेंट टुकड़ा है। हालाँकि, वापस लिया गया स्वीकारोक्ति थोड़ा अलग है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने एक बार कहा था, भारत में यह नियम है कि स्वीकारोक्ति का पता लगाया जाए और बाद में इसे वापस लिया जाए। एक अदालत वापस ली गई स्वीकारोक्ति को ध्यान में रख सकती है, लेकिन उसे स्वीकारोक्ति करने के कारणों के साथ-साथ इसे वापस लेने के कारणों की तलाश करनी चाहिए, और यह निर्धारित करने के लिए दोनों को तौलना चाहिए कि क्या वापस लेना स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति को प्रभावित करता है।
स्वीकारोक्ति या नहीं। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसे विचार के बाद या सलाह के कारण वापस ले लिया गया था, तो वापस लेने का मामला अदालत के साथ नहीं हो सकता है यदि मामले में सामान्य तथ्य साबित हो जाते हैं।

7 (1971) 3 एससीसी 950 [2019] 18 एस. सी. आर.

और स्वीकारोक्ति की अवधि जैसा कि किया गया है और इसे बनाने और वापस लेने की परिस्थितियाँ इसके उपयोगकर्ता को वारंट करती हैं। फिर भी, अदालतें अभियुक्त के अपराध के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से आश्वासन प्राप्त किए बिना वापस ली गई स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई नहीं करती हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि स्वेच्छा से की गई एक सच्ची स्वीकारोक्ति की पुष्टि करने के लिए मामूली सबूत के साथ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन एक वापस ली गई स्वीकारोक्ति के लिए जनरल की आवश्यकता होती है।

यह आश्वासन कि पीछे हटना एक विचार के बाद था और कि

पहले का कथन सत्य था। .....

25. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में इस तरह के प्रावधान के पीछे के उद्देश्य का पता लगाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आपराधिक मुकदमों में इकबालिया बयानों के उपयोग की अनुमति देने वाले प्रावधान थे

26. याचिकाकर्ता के दिनांकित 20.11.2010 (Ex.P.18) के इकबालिया बयान के कालानुक्रमिक विश्लेषण के साथ-साथ प्रारंभिक 19.11.2010 पर आयोजित परीक्षा, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट-एस. एस. साथियामूर्ति (पीडब्लू-28) ने सभी प्रक्रिया का विधिवत पालन किया

एक इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए आवश्यकताएं और याचिकाकर्ता के कबूलनामे की स्वैच्छिकता के बारे में सकारात्मक रूप से खुद को संतुष्ट करनाः

ए। प्रारंभिक जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उसे केंद्रीय जेल, कोयंबटूर से लाया गया था।

19.11.2010 , इसलिए पुलिस द्वारा किसी भी जबरदस्ती या प्रभाव की संभावना को कम करना। इसके अलावा, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता केवल 11.11.2010 पर पुलिस हिरासत में था और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि

इकबालिया बयान देने से पहले वह कुछ समय के लिए न्यायिक हिरासत में था। इसलिए अब्दुल रज़ाक मुरलज़ा दफादार बनाम के अनुसार। की स्थिति

बी। 19.11.2010 पर प्रारंभिक जाँच के दौरान प्रश्न 8 के उत्तर में, जब मजिस्ट्रेट द्वारा पूछा गया कि क्या किसी ने उसे प्रताड़ित किया है, तो याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे पुलिस ने पीटा था। हालाँकि, यह पूछे जाने पर कि क्या "पुलिस ने आपको प्रताड़ित किया और देने के लिए मजबूर किया" इस तरह का बयान ", याचिकाकर्ता ने इस तरह की किसी भी यातना या मजबूरी से इनकार किया। इसी तरह, जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ मधुर शब्द बताए गए थे जैसे कि "स्वीकारोक्ति बयान फायदेमंद होगा या"

8 ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 283.

मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे।]

जहाँ आपने पुलिस या किसी और द्वारा धमकी दी कि यदि बयान नहीं दिया गया तो याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से इसका खंडन किया। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उन्हें स्वीकारोक्ति बयान देने की मजबूरी नहीं थी और वह इस तथ्य से अवगत थे कि इस तरह के बयान का उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है। इसके अलावा, जब मजिस्ट्रेट द्वारा फिर से पूछा गया कि क्या याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया गया था, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता न केवल अपने दावों में असंगत था, बल्कि आगे भी यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा कथित शारीरिक हमला, यदि बिल्कुल भी होता, तो स्वीकारोक्ति से हफ्तों पहले किया गया होता। पुलिस हमले के अस्पष्ट और पारित दावे, जो माना जाता है कि इकबालिया बयान की तारीख से बहुत पहले किए गए थे, स्वीकारोक्ति को जबरन स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकते हैं।

सी। 19.11.2010 पर प्रारंभिक पूछताछ के बाद, याचिकाकर्ता को जेल वार्डन को सौंपा गया और न्यायिक हिरासत में वापस भेज दिया गया।

उसे विधिवत सूचित करने के बाद कि वह दायित्व के अधीन नहीं था इकबालिया बयान देना "। याचिकाकर्ता को अगले दिन दोपहर 2 बजे मजिस्ट्रेट के सामने फिर से पेश किया गया और उसे फिर से अपना मन बदलने और अपराध स्वीकार न करने का अवसर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने एक बार फिर याचिकाकर्ता की स्वैच्छिकता और किसी की अनुपस्थिति के बारे में खुद को संतुष्ट किया

पुलिस का प्रभाव। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पश्चाताप करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था और मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी संभावित विलंब

को की मुठभेड़ के बाद कथित पिटाई या मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रभाव

अभियुक्त को कम किया गया होगा। यह भी स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को अपने इकबालिया बयान के खंडन के बारे में विधिवत सूचित किया, और उसके मामले में मदद करने का कोई गलत आश्वासन नहीं दिया, जैसा कि असम राज्य बनाम में किया गया था। रवीन्द्र नाथ गुहा ', जिस पर श्री लूथरा ने गलती से भरोसा किया है।

डी। एक बार दर्ज किए गए बयान को बाद में याचिकाकर्ता को पढ़ा गया, जिसने सही होने के लिए हस्ताक्षर किए। मजिस्ट्रेट ने 4 बजे बयान पर हस्ताक्षर किएः 30 पीएम 20.11.2010 पर, और बाद में याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस प्रकार मजिस्ट्रेट अपने वैधानिक दायित्व के प्रति पूरी तरह से सचेत था और तथ्यात्मक रूप से यह सुनिश्चित करता था कि याचिकाकर्ता को इकबालिया बयान के बाद पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाए। यह आगे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को स्वीकारोक्ति के बाद लगभग बीस महीने तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जिसके दौरान उसे पुलिस को सौंपे जाने की कोई संभावना नहीं थी, और फिर भी उसके द्वारा स्वीकारोक्ति को वापस लेने का कोई विरोध या प्रयास नहीं किया गया था। 9 1982 क्रि एल. जे. 216।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए आवेदन आई. ओ. द्वारा दायर किया गया था, महत्वहीन है, क्योंकि याचिकाकर्ता न तो इसमें शामिल था।

पुलिस हिरासत में और न ही, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया, पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की न्यायिक हिरासत के दौरान उसके साथ। अब तक इस तथ्य का उपयोग करना उचित है कि पुलिस ने स्वीकारोक्ति दर्ज करने का अनुरोध यह सुझाव देने के लिए किया कि स्वीकारोक्ति अनैच्छिक थी या पुलिस के इशारे पर सुरक्षित थी।

27. इसके अलावा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता इकबालिया बयान के खिलाफ कोई विरोध करने में विफल रहा।

परीक्षण के दौरान कई अवसर। यह न्यायालय पहले शंकरिया बनाम मामले में निर्णय दे चुका है। राजस्थान राज्य "कि अभियुक्त द्वारा जितनी जल्दी हो सके वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा स्वीकारोक्ति में स्वैच्छिकता की एक मजबूत धारणा होगी।

28. वर्तमान मामले में स्वीकारोक्ति को आरोप तय करने के चरण के दौरान या चालीस की जांच के दौरान चुनौती नहीं दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के सात गवाह, लेकिन इसके बजाय संहिता की धारा 313 के तहत याचिकाकर्ता की परीक्षा से ठीक पहले गुप्त रूप से लिखे गए एक पत्र के माध्यम से केवल आंशिक रूप से विवादित थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुकदमे के अंतिम चरण में इस तरह की वापसी स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि शायद रक्षा रणनीति के एक हिस्से के रूप में सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि

20.11.2010 की स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता या यह बाद में वापस लेने से अप्रभावित है।

29. इसके अलावा, भले ही 20.11.2010 दिनांकित स्वीकारोक्ति को 25.07.2012 दिनांकित पत्र के माध्यम से वापस लिया गया माना जाए (जैसा कि अपनाया गया है) संहिता की धारा 313) के तहत जांच के दौरान, अभी भी मूल स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। पुष्टि करने वाले साक्ष्य के साथ, इस तरह के स्वीकारोक्ति के बल पर भी दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। इस तरह के वापस लिए गए इकबालिया बयानों के उपयोग के संबंध में नियम इस न्यायालय द्वारा सुब्रमण्य गौंडन बनाम में नोट किया गया था। मद्रास राज्य के साथ-साथ प्यारे लाल भार्गव बनाम में इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। राजस्थान राज्य 1 2, यह मानते हुए किः

" एक वापस लिया गया स्वीकारोक्ति एक दोषसिद्धि का कानूनी आधार बन सकता है यदि अदालत संतुष्ट है कि यह सच था और स्वेच्छा से किया गया था। लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अदालत बिना पुष्टि के इस तरह के स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाएगी।

10 (1978) 3 एससीसी 435। 11 आकाशवाणी 1958 एससी 66। 12 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1094

मनोहरन बनाम. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे.]

यह कानून का शासन नहीं है, बल्कि केवल विवेक का नियम है। यह नहीं हो सकता।

यहां तक कि अभ्यास के एक लचीले नियम के रूप में निर्धारित किया जाए या

विवेकपूर्ण कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा विश्वास नहीं हो सकता है

बिना पुष्टि के किया जा सकता है, क्योंकि एक अदालत में

विशेष मामले में, एक के पूर्ण सत्य के बारे में आश्वस्त रहें

स्वीकारोक्ति और बिना पुष्टि के उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार; लेकिन यह अभ्यास के एक सामान्य नियम के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना असुरक्षित है, बहुत कम वापस लिए गए स्वीकारोक्ति पर। स्वीकारोक्ति, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि वापस ले लिया गया

स्वीकारोक्ति सच है और स्वेच्छा से की गई है और की गई है सामग्री विवरणों में पुष्टि की गई।

30. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि वापस लेने के बयान में भी, याचिकाकर्ता ने पर्याप्त स्वीकार किया है जो इसके साथ पढ़ा जाता है

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। दिनांकित 25.07.2012 पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता केवल अपने कबूलनामे को दोहराता है

उनके पहले के बयान की तुलना में कुछ चूक और कुछ इनकार। हालाँकि वह पूरी घटना के दौरान अब मृत मोहनकृष्णन के साथ घटना स्थल पर रहने के लिए सहमत हो जाता है, बलात्कार और हत्या में समान भूमिका स्वीकार करने के बजाय, वह खुद को केवल एक असहाय दर्शक के रूप में चित्रित करता है। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अपनी वापसी को सही ठहराने का प्रयास किया है कि उसने मजिस्ट्रेट को सच बताया था लेकिन उसका बयान उसे नहीं पढ़ा गया था और इसलिए संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट की पुष्टि गलत है।

31. दिनांकित स्वीकारोक्ति के साथ वापसी की तुलना

20.11.2010 आगे यह दर्शाता है कि यह केवल एक सुधार है। याचिकाकर्ता ने घटना की सभी सामान्य परिस्थितियों को स्वीकार किया है, अर्थात सह-अभियुक्त का मित्र होने के नाते वह सभी अपराधों के स्थल पर मौजूद रहा है।

और अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अपराधों के होने का दावा किया गया है। हालाँकि, वह केवल यह तर्क देता है कि अपराध सह-अभियुक्त द्वारा किए गए थे, न कि स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा। इसके बावजूद, धारा 106 के तहत याचिकाकर्ता पर सबूत का एक मजबूत बोझ डालने के लिए दिनांकित 25.07.2012 पत्र में पर्याप्त उपदेशात्मक प्रवेश हैं।

आई. ई. ए.

32. इसके अलावा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि याचिकाकर्ता को केवल संहिता की धारा 164 के तहत किए गए अपने इकबालिया बयान के आधार पर निचली अदालतों या इस अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। स्वीकारोक्ति की पुष्टि पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा की गई है और यह कहना एक विस्तार नहीं होगा कि इस तरह के इकबालिया बयान से स्वतंत्र होने के बावजूद, यह न्यायालय अपराध के दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंच गया होगा।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वतंत्र रूप से-प्रमाण की स्वीकृति

33. श्री लूथरा द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि इस न्यायालय ने अभिलेख पर सभी सामग्री की स्वतंत्र रूप से पुनः सराहना किए बिना अपील का फैसला किया। हम इस तर्क से पूरी तरह असहमत हैं। इस न्यायालय ने अभिलेख पर प्रदर्शित सभी सामग्री गवाहों और दस्तावेजों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया, जिन्हें बहस के दौरान संदर्भित किया गया था। इस तरह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच से याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का सर्वसम्मत निष्कर्ष निकलता है। यह बहुमत द्वारा नोट किया गया था किः

" PW.20, PW.25 और PW.23 सभी ने दोनों अभियुक्तों को 29.10.2010 पर अलग-अलग समय पर बच्चों के साथ देखा। वास्तव में, भले ही किसी को अपीलार्थी के इकबालिया बयान को उसके वापस लेने के साथ पढ़ना पड़े, यह तथ्य कि उसने रात 1 बजे आईडी1 से दूध खरीदा था, स्पष्ट रूप से सामने आता है और यह तथ्य कि मोहनकृष्णन दर्जी से मिलने गए थे, उन्होंने मूल इकबालिया बयान के साथ-साथ वापस लेने दोनों में भी स्वीकार किया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि PW.20 और 23 के साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है

इकबालिया बयान और द्वारा की गई वापसी

अपीलार्थी और इसलिए दोनों अभियुक्तों के वाहन में दो बच्चों के साथ होने का तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है और इस प्रकार उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि अंतिम बार देखा गया सिद्धांत

जिस पर भरोसा किया जा सकता है उस पर संभवतः हमला नहीं किया जा सकता है।

34. जे. खन्ना ने भी अपनी अल्पमत राय में पैरा संख्या में इस तरह की स्वतंत्र पुनः प्रशंसा की थी। 23 29 तक।

कानूनी प्रतिनिधित्व की असमानता

35. श्री लूथरा एक तीसरी मुख्य चुनौती देना चाहते हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर भरोसा करते हुए, यह दावा करते हुए कि यह पर्याप्त और कुशल कानूनी सहायता को अनिवार्य करता है, इससे इनकार करना किसी की निंदा करने के बराबर होगा।

36. उद्धृत प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है, कम से कम हमारे कारण तो नहीं।

संविधान, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी कानूनी सहायता का अधिकार है। यदि कोई अभियुक्त इसका खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, जैसा कि हुसैनारा खातून बनाम में निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है। बिहार राज्य 1 3. हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि इस तरह का अधिकार है

13 (1980) 1 एससीसी 98।

मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे।]

वर्तमान मामले में संरक्षित किया गया था और याचिकाकर्ता को दिया गया कानूनी प्रतिनिधित्व अपर्याप्त नहीं था।

37. शुरुआत में, जैसा कि राज्य v में उल्लेख किया गया है। नवजोत संधू 1 4 एक वकील के प्रदर्शन की न्यायिक जांच सावधानीपूर्वक, अपमानजनक और उचित होनी चाहिए।

ऐसा न करने के लिए सावधानी बरतने से दोषियों द्वारा प्रतिकूल निर्णयों के बाद अपर्याप्त कानूनी सहायता की ऐसी दलीलें उठाने की खतरनाक संभावना पैदा हो जाएगी। यह स्ट्रिकलैंड वी का हवाला देने के लिए भी उपयोगी होगा। वाशिंगटन ' जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व के आधार पर पुनः परीक्षण या बरी करने की मांग करने के लिए यह निर्धारित किया है,

अभियुक्त को दोनों को दिखाना चाहिए कि प्रथागत अभ्यास द्वारा विकसित तर्कसंगतता के वस्तुनिष्ठ मानक के अनुसार वकील की सहायता की कमी थी, साथ ही यह कि इस तरह की कमी ने उचित संभावना के साथ मामले के परिणाम को प्रभावित किया है, जैसे कि उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता, तो परिणाम अलग होता।

38. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में इनमें से किसी भी पैर को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। हालाँकि यह सही है कि सात वकीलों ने याचिकाकर्ता का बचाव करने से इनकार कर दिया और बार द्वारा उनके संक्षिप्त विवरण को नहीं लेने का प्रस्ताव था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक कानूनी सहायता वकील की सेवाएं सुनिश्चित कीं, जिन्होंने मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता का बचाव कुशलता से किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 23.02.2011 से 18.06.2012 तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और 18.06.2012 के बाद, कानूनी सहायता वकील श्रीमती ए. शर्मिला याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं। अदालत द्वारा नियुक्त वकील द्वारा आयोजित प्रतिपरीक्षा की लंबाई और गुणवत्ता उसकी कानूनी कुशाग्रता और पेशेवर क्षमता की गवाही देती है। इसलिए, वकील के प्रदर्शन की पर्याप्तता पर कोई सवाल नहीं हो सकता है।
39. उपरोक्त निर्धारण के बावजूद, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान तथ्यों में याचिकाकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है।

पर्याप्त या उचित कानूनी सहायता की आवश्यकता। उच्च न्यायालय ने न केवल पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना की, बल्कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत याचिकाकर्ता की एक और जांच भी की। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता श्रीमती के अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. रघुनाथन को नियुक्त किया। वैराम, याचिकाकर्ता को सर्वोत्तम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। इसी तरह, अपील में, इस न्यायालय ने साक्ष्य की पुनः सराहना की और उचित कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। वर्तमान समीक्षा में भी, याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा एक उत्कृष्ट वरिष्ठ वकील द्वारा की जाती है और

बहुत सावधानी से, हमने एक विस्तृत विश्लेषण भी किया है। हम. 14 (2005) 11 एससीसी 600।

15 466 अमेरिका 668 (1984)।

इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करने वाली कम कानूनी सहायता का मामला नहीं है।

40. कार्यवाही के दौरान एक वकील की अनुपस्थिति के बारे में याचिका

पूर्वाग्रह, गलत धारणा है। अनिवार्य रूप से जिसकी आवश्यकता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वह यह है कि मजिस्ट्रेट को स्वयं की स्वैच्छिकता से संतुष्ट होना चाहिए बयान और सभी वैधानिक सुरक्षा उपायों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए, जिसमें परिणाम और अभियुक्त के ज्ञान में स्वीकारोक्ति करने की स्वैच्छिकता शामिल है। धारा 164 (1) के पहले प्रावधान पर ध्यान देना उचित है, जिसे 31.12.2009 से जोड़ा गया है, जो निर्दिष्ट करता है किः

" बशर्ते कि इसके तहत की गई कोई स्वीकारोक्ति या बयान

उप-खंड को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।

अर्थात् अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में एक अपराध "।

(जोर दिया गया)

41. संहिता की धारा 164 इस प्रकार यह विचार नहीं करती है कि

स्वीकारोक्ति या बयान अनिवार्य रूप से की उपस्थिति में किया जाना चाहिए

अधिवक्ता (ओं), सिवाय इसके कि जब ऐसा इकबालिया बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दर्ज किया जाता है।

साक्ष्यों की बरामदगी और बरामदगी

42. श्री लूथरा का अगला विवाद तारीख के इर्द-गिर्द घूमता है।

याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता को उनके गाँव की आंग्लापुर्ची चौकी से गिरफ्तार किया गया था-आधी रात को 29.10.2010 पर और 31.10.2010 पर 7 बजेः 00 ए. एम. याचिकाकर्ता को औपचारिक गिरफ्तारी के बाद तब तक हिरासत में नहीं भेजा गया जब तक कि गांव के सामने एक कथित स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं की गई प्रशासनिक अधिकारी, एस. गणेशन (पीडब्लू-30)। श्री लूथरा पीडब्लू-47 की प्रतिपरीक्षा पर भरोसा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता को आईडी1 की आधी रात के बाद उनके गांव में पकड़ा गया था।

43. न केवल विवाद पुनः: गिरफ्तारी की तारीख मायने नहीं रखती है

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के अपराध का निर्धारण, लेकिन अन्यथा हम उसमें कोई सार नहीं पाते हैं। सबसे पहले, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी 31.10.2010 7 बजेः 00 ए. एम. को प्रदर्शनी डी4 द्वारा साबित किया जाता है जिस पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाते हैं

उसके पिता (डी. डब्ल्यू-1)। पी. रामासामी (डीडब्ल्यू-1) ने गिरफ्तारी की तारीख और समय साबित करते हुए प्रदर्शनी डी4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। दूसरा, याचिका अधिकतम रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का उल्लंघन मानती है जो 24 मनोहरण बनाम के भीतर क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष संदिग्ध को पेश करने का आदेश देती है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे.]

01.11.2010 तक पुलिस, इसलिए पैंटी पर बाल लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। 45. सबसे पहले, इस तरह की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुति से भिन्न है जहां यह तर्क दिया गया था कि पुलिस ने

04.11.2010 पर गुप्तांग के बाल। दूसरा, अभियोजन पक्ष के मामले में कोई तथ्यात्मक विसंगति नहीं है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से देखा जा सकता हैः

आई.

पुलिस मोहनकृष्णन को एक ए के घर में मिली।

लगभग 9 बजे 29.10.2010 पर अनबू (PW-7): 45 पी एम। इसके अनुसार, पुलिस ने पीडब्लू-7 और एक संतोष कुमार की उपस्थिति में मारुति वैन का निरीक्षण किया। उचित रूप से, पुलिस द्वारा मजार (Ex.P.4) तैयार किया गया था जिसमें वैन की जब्ती और उसके दरवाजों पर दाग की उपस्थिति का विवरण शामिल था और

फर्श की चटाई।

इसके बाद, ए. सरवनन (पीडब्लू-43), उप निदेशक

ii.

तमिलनाडु फोरेंसिक विज्ञान विभाग की मोबाइल इकाई को आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-47) द्वारा 29/<आई. डी. 1 की आधी रात के आसपास बुलाया गया था। पीडब्लू-43 ने वैन की जांच की जिसमें

मृतक लड़की का अंडरवियर (एमओ-1) बालों के तारों के साथ पाया गया था। पी. डब्ल्यू.-43 द्वारा बालों के तारों पर सेलोफेन टेप लगाया गया था, ताकि उन्हें उनके स्थान पर रखा जा सके और एम. ओ.-1 को फिर एक आवरण में डाल दिया गया और सील कर दिया गया। इसके अलावा, पीडब्लू-47 ने उसे 'एंजेलफॉर्म' ब्रासियर कार्डबोर्ड बॉक्स में सील कर दिया, जिसे आसपास से प्राप्त किया गया और इसे मजार (Ex.P.5) के रूप में जब्त कर लिया।

तदनुसार, Ex.P.5 न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पहुँचा

iii.

30.10.2010 एमओ-1 से संबंधित फॉर्म 95 के साथ। यह Ex.P.5 के उत्पादन में एक दिन की देरी की व्याख्या करता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अलावा, चूंकि 30.10.2010 एक शनिवार था, इसलिए न्यायिक

iv.

मजिस्ट्रेट ने Ex.P.5 को अगले कार्य दिवस यानी 01.11.2010 पर फिर से पेश करने का निर्देश दिया। इसलिए, बॉक्स को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 01.12.2010 पर फिर से पेश किया गया और फिर इसे तमिलनाडु फोरेंसिक साइंसेज को भेज दिया गया

आगे के विश्लेषण के लिए विभाग।

46. पीडब्लू-43 ने अपनी रिपोर्ट (Ex.P.38) तैयार की और इसे आगे की फोरेंसिक जांच के लिए आईओ को भेजा, जिसमें यह दर्ज किया गया था किः

" ए) एक गुलाबी रंग की पैंटी मुद्रित अक्षर "एस. बी. टी. बच्चे पहनते हैं" "75 सेमी" हल्के भूरे रंग के स्टार्च जैसे छोटे दाग के साथ

इसकी भीतरी सतह पर बालों के टुकड़े वाहन की पिछली सीट के नीचे पाए गए थे, जिन्हें पहचाना गया था, एकत्र किया गया था। वह स्थान जहाँ

बालों के टुकड़ों को चिह्नित किया गया था और चिपकाया गया था

महत्वपूर्ण संकेत को सुरक्षित परिवहन के लिए सेलफोन टेप

व्यापक फोरेंसिक विश्लेषण के लिए सामग्री "।

47. इसके अतिरिक्त, फोरेंसिक विज्ञान विभाग के डीएनए प्रभाग की उप निदेशक श्रीमती लक्ष्मी बालासुब्रमण्यम (पीडब्लू-49) ने कहा उसकी क्रॉस-जाँच कि अंडरवियर उसे जाँच के लिए एक सीलबंद पार्सल में प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा हैः

" यह कहना सही है कि मेरा पहला विशेषाधिकार यह संतुष्ट करना है कि जिस पात्र में परीक्षण के लिए प्राप्त वस्तुओं की मुहर टूटी नहीं है। यह कहना सही है कि वस्तुओं और कागज के आवरण को चिकित्सा अधिकारी की मुहर से सील कर दिया जाएगा। द.

मुझे प्राप्त पार्सल में चिकित्सा अधिकारी की मुहर थी

और कोई अदालत की मुहर नहीं। यह कहना सही है कि मेरी रिपोर्ट में

मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि मुहरें नहीं टूटी थीं।

XXX

"सही मुहरों" से मेरा मतलब है कि पत्र पर वही मुहर

और कागज के आवरण पर नमूना मुहर समान है।

48. ऊपर दिए गए बयानों के विश्लेषण से साबित होता है कि अंडरवियर बरामद किया गया था और बिना किसी छेड़छाड़ के फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। जब पीडब्लू-49 ने इसे फोरेंसिक जांच के लिए प्राप्त किया, तब भी अंडरवियर वाले पार्सल पर मुहर बरकरार थी।

49. हम पाते हैं कि संपत्ति कक्ष रजिस्टर को पेश न करने के संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क कोई बल नहीं है क्योंकि इसे कार्यवाही के किसी भी चरण में पहले नहीं उठाया गया है और मनोहरन बनाम।

अतः समीक्षा के चरण में नए सिरे से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, मृतक के पिता (पीडब्लू-1) द्वारा एमओ-1 की पहचान पर संदेह करना भी निराधार है और इसका कोई आधार नहीं है। केवल इसलिए कि पीडब्लू-1 ने घटना की तारीख को अपनी बेटी को कपड़े नहीं पहने थे इसका मतलब है कि वह अपनी बेटी के कपड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं पहचान पाएगा। पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया है कि एमओ-1 उनकी बेटी का है।

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि

50. समीक्षाधीन फैसले में श्री लूथरा ने तर्क दिया कि इकबालिया बयान के अनुसार भी आरोपी ने केवल अपराध किया है।

गुदा मैथुन जो आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत दंडनीय है, और उसे आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, इस तरह की याचिका को इसके विपरीत भारी सबूतों से समर्थन नहीं मिलता है।

सबसे पहले, इकबालिया बयान के प्रासंगिक भागों को निकालने की आवश्यकता हैः

" ..... मैंने उनसे मुझे एक मौका देने के लिए कहा। उसने मुझे लड़की के साथ ऐसा करने के लिए कहा। सामने की सीट से बैठे मोहन ने देखा। मैं गया और उस लड़की को देखा जो बिना पैंट के थी। मैंने अपना लिंग रखा

सामने की ओर जब लड़की यह कहते हुए रो पड़ी कि वह दर्द कर रही है। फिर मैंने गुदा के माध्यम से पीछे की ओर किया। यह भी मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। फिर मैंने हस्तमैथुन किया और वीर्य निकाला।

51. इकबालिया बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने मृतक लड़की की योनि पर अपना लिंग रखा जिसके परिणामस्वरूप वह रो पड़ी। याचिकाकर्ता का यह अधिनियम धारा 376 के सभी प्रासंगिक अवयवों को संतुष्ट करता है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर मौजूद था। एकमात्र विवाद जो बना हुआ है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने पेनो-योनि प्रवेश किया था

या नहीं। हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि योनि संभोग एक्स के साथ किया गया था और उस पर एक संदूषण था याचिकाकर्ता का निजी भाग। पीडब्लू-46 द्वारा अपदस्थ किए गए एक्स के पोस्टमॉर्टम के प्रासंगिक हिस्सों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" ..... मृत्यु-विरोधी चोटें जो उस पर लगी थीं

XXX 4

) योनि के आंतरिक निचले हिस्से और गर्भाशय के आंतरिक किनारे पर 2 x 1 सेमी x 0.5 सेमी की चोट। हाइमेन चतुराई में था।

5) जब गुदा की जांच की गई तो पाया गया कि यह गुदा में बड़ा था।

आकार, 3 सेमी चौड़ा। "[2019] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. इसके अलावा, 04.11.2010 पर मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए, डॉ. जयसिंह ने मनोहरन की जांच की और उनके लिंग पर चोट देखी।

अपनी रिपोर्ट (Ex.P.56) में इस प्रकार हैः

" ग्रंथियों के समीपस्थ भाग पर एक गहरे रंग का संदूषण पाया गया

मूत्रमार्ग के चारों ओर लिंग।

53. पीडब्लू-46 के निक्षेपण से यह स्पष्ट है कि एक्स की योनि में प्रवेश किया गया था। इसके अलावा, एक्स के शरीर पर शव परीक्षण करने वाले डॉ. जयसिंह (पीडब्लू-46) ने अपनी अंतिम राय (Ex.P.50) में कहा थाः

" ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु गिरने से हुई होगी।

जबरन यौन हमले के कारण योनि और गुदा पर चोटें दर्ज की गईं।

54. इसके अलावा, लड़की के अंडरवियर में पाए गए उसके गुप्तांग के बालों का सबूत डीएनए रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है कि वे उसके बाल थे।

भयानक अपराध न करने का अनुरोध। डी. एन. ए. रिपोर्ट, जैसा कि श्रीमती लक्ष्मी बालासुब्रमण्यम (पीडब्लू-49) द्वारा बयान किया गया है, एक्स के अंडरवियर में पाए गए गुप्तांग के बाल याचिकाकर्ता के होने की पुष्टि करता है। डी. एन. ए. रिपोर्ट का वर्णन करते हुए पीडब्लू-49 के कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" निष्कर्षः उपरोक्त नमूनों के डी. एन. ए. टाइपिंग परिणामों से यह पाया गया है कि वस्तु [8] में गुप्तांग के बाल एक मानव पुरुष व्यक्ति के हैं और कथित आरोपी-2 के हैं।

मनोहरन। रिपोर्ट डी. एन. ए. 220/2010 दी गई है और हस्ताक्षरित है। मेरे द्वारा। चार अनुलग्नकों के साथ उक्त रिपोर्ट को Ex.P.48B के रूप में चिह्नित किया गया है।

55. डॉ. जयसिंह की अंतिम राय पर विचार करते हुए कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था; याचिकाकर्ता के लिंग पर चोट;

अंडरवियर के बिना एक्स के मृत शरीर की बरामदगी; मारुति वैन से अंडरवियर की बरामदगी; एक्स के पिता ने अंडरवियर को पहचाना; खोज बरामद अंडरवियर पर बाल और मनोहरन के साथ बालों के डीएनए का मिलान, हमारा मानना है कि इसके अभाव में भी

याचिकाकर्ता का इकबालिया बयान, यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध किया है। वापस लेने की तारीख

25.07.2012 केवल दोषारोपण साक्ष्य के कुछ हिस्से को ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन पूरे साक्ष्य को दोषमुक्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हम श्री लूथरा के तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं और

हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

मनोहरन बनाम. पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे.]

पॉक्सो पर गलत निर्भरता

56. तब यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण में हाल के संशोधन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 मृत्युदंड को उचित ठहराने के लिए, क्योंकि नया कानून घटना की तारीख को मौजूद नहीं था और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 20 का पूर्वव्यापी अपमान।

सजा सुनाने में न्यायाधीशों के विवेक से, यह समाज की राय होनी चाहिए न कि न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय जिस पर मौत की सजा सुनाते समय विचार किया जाना चाहिए। उसी दिशा में, मामले के लंबित रहने के दौरान कानून में बदलाव सामाजिक स्थिति का एक उपयुक्त संकेतक है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विधिबद्ध राय। यहाँ यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जो अन्यथा मौत की सजा के योग्य नहीं है।

सजा सुनाना

58. अंत में, श्री लूथरा ने आग्रह किया कि यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, विशेष रूप से जब मौत की सजा की पुष्टि केवल 2 के माध्यम से की गई हैः 1 विभाजित निर्णय। सुथेनरराजा बनाम में थॉमस जे. की अल्पमत राय पर भरोसा करते हुए। उन्होंने जोर देकर तर्क दिया कि जहां एक मामले में माननीय न्यायाधीशों में से एक ने मृत्युदंड देना उचित नहीं समझा, वह अपने आप में समीक्षा में मृत्युदंड को कम करने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इसे 'अवशिष्ट संदेह' का मामला बनाया जाए, जैसा कि रविशंकर बनाम में विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य, जो एक शमनकारी परिस्थिति भी है जिस पर न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, यह विचार करते हुए कि क्या मामला "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" की श्रेणी में आता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न तो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय ने कम करने वाली परिस्थितियों को उचित महत्व दिया जैसे किः

16 एआईआर 1983 एससी 957।

17 (1999) 9 एससीसी 323। 18 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1290 [2019] 18 एस. सी. आर.

((i) अभिलेख सामग्री प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर का अभाव /

कम करने वाली परिस्थितियों का प्रमाण।

((ii) याचिकाकर्ता की कम उम्र (30 वर्ष से कम) और वृद्ध माता-पिता।

((iii) किसी भी पिछले आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति।

((iv) पिछड़ी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि। (v) परिस्थितिजन्य मामलों में मृत्यु की सजा नहीं दी जानी चाहिए।

सबूत।

59. इस मोड़ पर, इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि श्री लूथरा के तर्क में आग्रह किया गया है कि मृत्यु की सजा नहीं दी जानी चाहिए।

एकल असहमति, बहुमत की राय के बावजूद, इस न्यायालय के एक से अधिक निर्णयों को देखते हुए असमर्थित है। देवेंद्र पाल सिंह बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राज्य "और कृष्ण मोची बनाम में भी। बिहार राज्य की एक समवर्ती पीठ ने मौत की सजा की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसे पहले इस न्यायालय के तीन में से दो न्यायाधीशों द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था। सुतेंद्रराज (ऊपर) पर निर्भरता स्वयं ही गलत है क्योंकि जिस प्रस्ताव पर भरोसा किया गया था, वह अल्पमत की राय में दिया गया था, जो अदालत के आदेश से असमर्थित था और न्यायमूर्ति कादरी द्वारा भी असहमत था, जिन्होंने कहाः

" उच्चतम न्यायालय के नियम XL (1) का दायरा जो

समीक्षा के लिए आधार प्रदान करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है

पी. एन. ईश्वर अय्यर बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय [(1980) 4 एस. सी. सी. 680] बनाम आपराधिक कार्यवाही, "अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि" तक सीमित नहीं है। इसके बावजूद

व्याख्या की प्रक्रिया को गले लगाने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है

मेरे विद्वान भाई द्वारा आधार के रूप में इंगित किया गया आधार

समीक्षा करें। इसके अलावा रास्ते में दो कठिनाइयाँ हैं। द.

पहला यह है कि उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति का परिणाम होगा

बहुमत की राय को एक अनुरूप आधार के बराबर करने में

"अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि" और दूसरी बात

तीन न्यायाधीशों की पीठ में या अधिक शक्ति की, यदि कोई विद्वान

न्यायाधीश मृत्युदंड की पुष्टि करने के लिए इच्छुक नहीं है

एक दोषी पर, बहुमत को पुष्टि करने से रोक दिया जाएगा

मृत्युदंड स्वयं समीक्षा के लिए खुला रहेगा।

9 (2003) 2 एस. सी. सी. 501। 20 (2003) 2 एससीसी 501।

मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [सूर्या कान्ट, जे।]

60. इसके अलावा, उपरोक्त निर्णयों के बिना भी, हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह स्थापित के विपरीत है

पूर्ववर्ती का न्यायशास्त्र और कई राय वाले फैसलों की व्याख्या। कानून में यह तय किया गया है कि असहमत राय का बहुत कम पूर्ववर्ती मूल्य होता है और निर्णयों के बीच संचालन में कोई अंतर नहीं होता है।

सर्वसम्मति से प्रस्तुत किया गया या बहुमत द्वारा प्रस्तुत किया गया, भले ही अल्पसंख्यक असहमत विचारों के साथ।

61. यद्यपि श्री लूथरा का तर्क है कि याचिकाकर्ता को उनके संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है

परिस्थितियाँ अप्रमाणित हैं, फिर भी हमने सजा देने पर फिर से विचार किया है। हमने बढ़ती परिस्थितियों के खिलाफ कम करने वाली परिस्थितियों का फिर से दौरा किया है, साथ ही अपील के दौरान इस न्यायालय द्वारा नियुक्त और जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का आचरण केवल संतोषजनक है और उसने सुधार के कोई संकेत दिखाने के लिए कोई अध्ययन या कुछ और नहीं किया है।

62. इस निर्णय के पूर्ववर्ती भागों में यह स्पष्ट किया गया है।

कि अभियोजन पक्ष का मामला एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति होने के अलावा कई सबूतों के माध्यम से स्थापित किया गया है, जो याचिकाकर्ता के अपराध को किसी भी अवशिष्ट संदेह से परे साबित करता है। याचिकाकर्ता और बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा परस्पर विरोधी बयान दिए गए हैं और धारा 106 के तहत दायित्व निर्वहन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए, यह रविशंकर (उपरोक्त) में उल्लिखित "अवशिष्ट संदेह" के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। तदनुसार, यह तर्क भी कि वर्तमान मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से युक्त मानते हुए मृत्यु की सजा नहीं दी जानी चाहिए, निराधार है। यह अब समग्र नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकास और अनुभवी अपराधियों द्वारा दुर्व्यवहार की संभावना के कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में मौत की सजा नहीं देने का कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है। 63. इसके अलावा, आरोपी को एक असहाय, अनपढ़ युवा वयस्क के रूप में वर्णित करने का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है जो अपनी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है। ऐसा होने की जगह, घटनाओं के संस्करण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि आरोपी के पास अपना बचाव करने और अपने कबूलनामे को वापस लेने का प्रयास करने के लिए दिमाग की उपस्थिति थी।

मजिस्ट्रेट को संबोधित ग्यारह पृष्ठ का विस्तृत पत्र लिखा गया था और आगे पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था।

64. श्री लूथरा की वापसी पत्र पर यह तर्क देने के लिए निर्भरता कि जहाँ तक बयान से पता चलता है कि उन्होंने सह-अभियुक्त को [2019] 18 एस. सी. आर. से रोक दिया था।

बलात्कार करना, इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसे पछतावा है जो अधिकार देता है

यदि उसे दोषमुक्त नहीं किया जाता है, तो उसे परिवर्त्तन के लिए गलत स्थान दिया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीछे हटना बेहद विलंबित था और केवल खुद को बचाने के लिए एक बचाव था। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य ने साबित किया है कि मृतक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त को लड़की के साथ बलात्कार करने से रोका और मुकदमे के अंत में यह एक विलंबित झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए, निशी कांत झा बनाम के अनुसार उत्सर्जक भागों को बाहर रखा जाना चाहिए। बिहार राज्य 2 1. 65. यहां तक कि किसी भी भयावह परिस्थिति के बिना देखा गया, केवल कम उम्र और वृद्ध माता-पिता की उपस्थिति इसके लिए आधार नहीं हो सकती है।

परिवर्तन। यह देखा जा सकता है कि इस तरह की कम उम्र एक निरंतरता पैदा करती है

राज्य पर बोझ और समाज के लिए एक लंबा जोखिम प्रस्तुत करता है, इसलिए न्यायालयों द्वारा अधिक गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसी तरह, सिर्फ इसलिए कि अब मृत सह-अभियुक्त मोहनकृष्णन मास्टरमाइंड था जिसका अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर था, हम याचिकाकर्ता के अन्यथा बर्बर रूप से चौंकाने वाले अपराधों को कम नहीं कर सकते। हम आपराधिक रिकॉर्ड की कमी की छूट देने के लिए भी इच्छुक नहीं हैं।

कि वर्तमान अपराध केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि कई घंटों की श्रृंखला में कई अपराध शामिल थे।

66. भले ही स्वीकारोक्ति से जुड़े मामले कुछ नरमी और करुणा के योग्य हों, हालाँकि, जैसा कि पहले हमारी बहुमत की राय में उल्लेख किया गया था, बयान को वापस लेने का प्रयास दर्शाता है कि याचिकाकर्ता वास्तव में कैसे अक्षम था। इस तरह के विलंबित वापसी ने इस डर को और बढ़ा दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा अब कोई पश्चाताप या पश्चाताप दिखाया जा सकता है।

यह अस्थायी है और वह अपने पुराने तरीकों को फिर से अपना सकता है। इस तरह के पीछे हटने के अंतर्निहित कारणों के बावजूद, क्या यह मृत्यु का डर है या यह महसूस करना कि उसे अपने पहले के स्वीकारोक्ति का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन पुनरावृत्ति की संभावना केवल बढ़ गई है और हम अब प्रारंभिक स्वीकारोक्ति को शून्य में नहीं देख सकते हैं।

67. बल्कि, वर्तमान मामला अनिवार्य रूप से एक ऐसा मामला है जिसमें दो अभियुक्तों ने सामाजिक विश्वास का दुरुपयोग करते हुए दो निर्दोष स्कूलों को बंदी बना लिया।

बच्चों, जिनमें से एक का बेरहमी से बलात्कार और यौन शोषण किया गया था, और उसके बाद जहर दिया गया और अंत में, उन्हें एक नहर में फेंककर डूब गया। यह क्षण के उत्साह या जुनून के अपराध में नहीं था; बल्कि चतुराई से योजनाबद्ध, सावधानीपूर्वक निष्पादित और रोकने और रोकने के कई अवसरों के साथ था। हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता का वर्तमान अपराध 21 1969 एससीसी (1) 347।

अनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना]

o इस न्यायालय और समाज की अंतरात्मा को आघात पहुँचाने के रूप में गंभीर

डी इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम है।

68. इसलिए, हम पाते हैं कि दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखने के लिए कोई आधार नहीं है। समीक्षा पे

ccordingly खारिज कर दिया।

आदेश

संजीव खन्ना, जे।

मैं दंड संहिता की धारा302,376 (2) (च) और (छ) और 201 के तहत धोखाधड़ी के आदेश को बरकरार रखने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने में अपने न्यायाधीश कांत द्वारा दिए गए कारणों से पूरी तरह सहमत और सहमत हूं। सजा के सवाल पर, मुझे कोई नज़र नहीं आता

घ और इस लेख में मेरी टिप्पणियों और निष्कर्षों की समीक्षा करने के कारण। तदनुसार, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

आई भूषण बोस

याचिकाओं की समीक्षा